अति आवश्यक
महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल

क्रमांक 2316 /विधि /प्र.अ./लो.स्व. यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 11/03/2024

प्रति,

(1) समस्त मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र ——————
वि./यां. परिक्षेत्र——————

(2) समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंडल/परियोजना मंडल ——————

(3) समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खंड ——————

विषय :– विभागीय सेवानिवृत्त कार्यभारित स्थापना अथवा नियमित स्थापना के कर्मचारियों द्वारा दैनिक वेतन भोगी सेवा अवधि को कार्यभारित स्थापना अथवा नियमित स्थापना की सेवा अवधि में पेंशन प्रयोजन हेतु जोड़ने की मांग सम्बन्धी न्यायलयीन प्रकरणो के **प्रतिरक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन** एवं **अभ्यावेदन निराकरण आदेश का प्रारूप** उपलब्ध कराने विषयक ।

स्पीड पोस्ट

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 15962 दिनांक 22/12/2023, पत्र क्रमांक 1134 दिनांक 05/02/2024 एवं पत्र क्रमांक 1669 दिनांक 21/02/2024

00

कृपया विभागीय सेवानिवृत्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा पेंशन की मांग अथवा विभागीय सेवानिवृत्त कार्यभारित स्थापना अथवा नियमित स्थापना के कर्मचारियों द्वारा दैनिक वेतन भोगी सेवा अवधि को कार्यभारित स्थापना अथवा नियमित स्थापना की सेवा अवधि में पेंशन प्रयोजन हेतु जोड़ने की मांग सम्बन्धी न्यायलयीन प्रकरणो के प्रतिरक्षण के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे।

कृपया ध्यान दे कि ऐसे प्रकरणों को तीन अलग –अलग श्रेणियों में रखकर अलग –अलग प्रकार से प्रतिरक्षण करने के निर्देश जारी किये गए है, जो निम्नानुसार है :–

क्र	प्रकरण की श्रेणी	प्रतिरक्षण
1	ऐसे न्यायालयीन प्रकरण जो दैनिक वेतन भोगी सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर किये जाते है ।	इन प्रकरणों के प्रतिरक्षण हेतु मुख्य तौर पर माननीय उच्चतम न्यायलय की सिविल अपील क्रमांक 7068/2022 (सुनीता बर्मन बनाम कमिश्नर म. प्र. हाउसिंग बोर्ड) में पारित निर्णय दिनांक 14/10/2022, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट अपील क्रमांक 226/2018 (म. प्र. शासन एवं अन्य बनाम इसरत मोहम्मद) में पारित निर्णय दिनांक 06/03/2019, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की रिट याचिका क्रमांक 1180/2015 (हीरालाल बनाम म. प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 06/08/2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 29982/2023 (अशोक कुमार शर्मा बनाम म. प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 19/12/2023 का उपयोग किये जाने का परामर्श है । पूरक प्रतिरक्षण हेतु माननीय उच्चतम न्यायलय की सिविल अपील क्रमांक 3155/2023 (उदय प्रताप ठाकुर बनाम बिहार राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 28/04/2023 एवं माननीय उच्चतम न्यायलय की सिविल अपील क्रमांक 505–. 531/2020 (परमेश्वर नंदा आदि बनाम झारखण्ड राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 07/02/2020 का उपयोग किये जाने का परामर्श है । इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 1134 दिनांक 05/02/2024 एवं पत्र क्रमांक 1669 दिनांक 21/02/2024 समस्त न्याय दृष्टांतो सहित जारी किये गए है
2	ऐसे न्यायालयीन प्रकरण जो 01 जनवरी 2005 के पूर्व कार्यभारित स्थापना अथवा नियमित स्थापना में शामिल किये गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर किये जाते है ।	इन प्रकरणों के प्रतिरक्षण हेतु मुख्य तौर पर माननीय उच्चतम न्यायलय की सिविल अपील क्रमांक 3155/2023 (उदय प्रताप ठाकुर बनाम बिहार राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 28/04/2023 एवं माननीय उच्चतम न्यायलय की सिविल अपील क्रमांक 505–.531/2020

		(परमेश्वर नंदा आदि बनाम झारखण्ड राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 07/02/2020 का उपयोग किये जाने का परामर्श है । पूरक प्रतिरक्षण हेतु माननीय उच्चतम न्यायलय की सिविल अपील क्रमांक 7068/2022 (सुनीता बर्मन बनाम कमिश्नर म. प्र. हाउसिंग बोर्ड) में पारित निर्णय दिनांक 14/10/2022, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट अपील क्रमांक 226/2018 (म. प्र. शासन एवं अन्य बनाम इसरत मोहम्मद) में पारित निर्णय दिनांक 06/03/2019, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की रिट याचिका क्रमांक 1180/2015 (हीरालाल बनाम म. प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 06/08/2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 29982/2023 (अशोक कुमार शर्मा बनाम म. प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 19/12/2023 का उपयोग किये जाने का परामर्श है । इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 1134 दिनांक 05/02/2024 एवं पत्र क्रमांक 1669 दिनांक 21/02/2024 समस्त न्याय दृष्टांतो सहित जारी किये गए है।
3	ऐसे न्यायालयीन प्रकरण जो 01 जनवरी 2005 के पश्चात् कार्यभारित स्थापना अथवा नियमित स्थापना में शामिल किये गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर किये जाते है ।	इन प्रकरणों के प्रतिरक्षण हेतु मुख्य तौर पर कर्मचारियों के नियुक्ति आदेशों का उपयोग किये जाने का परामर्श है जिनमे यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि उन पर म. प्र. शासन द्वारा 01 जनवरी 2005 से लागू कि गयी **अंशदायी पेंशन योजना** लागू होगी तथा इसी शर्त को स्वीकार करके उन्होंने नियमितीकरण के उपरांत की अपनी सेवाएं दी है । इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 15962 दिनांक 22/12/2023 के माध्यम से पृथक से निर्देश भी जारी किये गए है ।

कृपया इस प्रकृति के न्यायालयीन प्रकरणों के प्रतिरक्षण में ऊपर उल्लेखित परामर्श का अनुसरण सुनिश्चित करे । तथापि यह पाया गया है कि ऐसे अधिकांश मामलो में माननीय

न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता कर्मचारी के अभ्यावेदन का निराकरण स्पीकिंग आदेश के माध्यम से करने के आदेश दिए जा रहे है।

ऊपर तालिका में उल्लेखित श्रेणी –2 से सम्बंधित एक प्रकरण में, जो ग्वालियर परिक्षेत्र के सेवानिवृत्त उपयंत्री (सिविल) से सम्बंधित है, में न्यायलयीन निर्णय अनुसार अभ्यावेदन का निराकरण इस कार्यालय द्वारा किया गया है । अभ्यावेदन निराकरण आदेश की प्रति आपके स्तर से आदेश जारी करते समय आवश्यक मार्गदर्शन हेतु आपकी और प्रेषित है । इसी अनुक्रम में आपको जानकारी दी जाती है कि तालिका में उल्लेखित श्रेणी –1 एवं श्रेणी –3 के प्रकरणों में भी उनके सम्बन्ध में मुख्य रूप से प्रतिरक्षण हेतु बताये गए दस्तावेजों/न्यायदृष्टांतो को आधार बनाकर अभ्यावेदनों का निराकरण किया जा सकता है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकृति के न्यायालयीन प्रकरणों में न्यायालयीन आदेशों के परिपालन में , भविष्य में आपके स्तर से जारी होने वाले अभ्यावेदन निराकरण आदेशों में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश के प्रारूप का अनुसरण करना सुनिश्चित करे ताकि आगे उत्पन्न होने वाले न्यायलयीन प्रकरणों की सम्भावना को न्यूनतम किया जा सके ।

11-3.2024

प्रमुख अभियंता

स्पीकिंग आदेश का नमूना प्रारूप

अतिआवश्यक
तत्काल

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन बाणगंगा, भोपाल

क्रमांक 172 /विधि/प्र अ./लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक 11/03/2024

//आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की रिट पिटीशन कमांक 492/2023 (दिनेश कुमार श्रीवास्तव बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड भिण्ड से सेवानिवृत्त उपयंत्री (सिविल) के द्वारा रिट पिटीशन में चाहे गये स्वत्वों का निर्धारण किया जा रहा है।

(1) श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त उपयंत्री (सिविल) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट पिटीशन क. 492/2023 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :–

> प्रतिवादियों को निर्देशित किया जावें कि वे पेंशन प्रयोजन हेतु, याचिकाकर्ता कर्मचारी की उपयंत्री के पद पर सेवाओं की गणना उसके प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक 21.07.1986 से उसकी नियमितिकरण किये जाने की दिनांक 11.05.1990 तक करें ताकि उसे पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके साथ ही उक्त अवधि के वेतन एरियर की राशि भी उसे दी जाये ।

(2) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित निर्णय दिनांक 09.01.2023 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

> Prayer appears to be innocuous in nature and therefore, the writ petition stands disposed of with the following directions :-
>
> (i) The petitioner may submit a detailed representation alongwith copy of the pending representation within fifteen days to the respondents;
>
> (ii) In turn, respondents are directed to address upon the same and decide it in accordance with law within a period of six weeks, if not already decided.
>
> It is made clear that this Court has not expressed any opinion on the merits of the case.
>
> With the aforesaid directions, the petition is disposed off finally.

स्पीड पोस्ट

11/3/2024

(3) रिट याचिका क. 492/2023 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2023 के अनुपालन में याचिकाकर्ता कर्मचारी की ओर से एक अभ्यावेदन दिनांक 13.01.2023 प्रस्तुत किया गया था, जो निम्नानुसार है :–

प्रति,

1.श्रीमान प्रमुख सचिव, महोदय,
लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
वल्लभ भवन भोपाल।
2.श्रीमान प्रमुख अभियंता, महोदय,
लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
जलभवन बाणगंगा भोपाल।
3.श्रीमान् मुख्य अभियंता महोदय,
लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
पानी की टंकी मुरार परिक्षेत्र ग्वालियर।
4.श्रीमान कार्यपालन यंत्री महोदय,
लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
खंड भिण्ड

विषयः– प्रार्थी की दैनिक वेतनभोगी की सेवा दिनांक 21.07.1986 दिनांक को नियमितिकरण दिनांक 11.05.1990 को जोडने एवम वेतनमान एवम अंतर की राशि देने हेतु बावत।

संदर्भः–माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.12.2023 प्रकरण कमांक़ डबल्यूपी 492/2023 के परिपालन हेतु।

—0—

1. यह कि प्रार्थी की नियुक्ति श्रीमानजी के विभाग में दिनांक 21.07.1986 को दैनिक वेतन भोगी उपयंत्री के पद पर हुई। तदउपरांत श्रीमानजी के आदेश दिनांक 11.05.1990 द्वारा प्रार्थी को उपयंत्री के पद पर नियमित स्थापना में नियमित कर दिया गया है।

2. यह कि प्रार्थी के साथी श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा ने दैनिक वेतन भोगी की सेवा उसके नियुक्तिकरण की सेवा जुडवाने के लिए डबल्यू/6905/2016 के लिए वाद माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 03.02.2017 को अभ्यावेदन का निराकरण करने के आदेश दिया है।

3. यह कि विभाग द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, एवम सतीश शर्मा की दैनिक वेतन भोगी की सेवा को उसकी नियमितिकरण सेवा तक जोडकर उसे तकरीबन 5 लाख की एरियर की राशि का भुगतान किया। उसे 1985 की सेवा को जोडकर उसे पेंशन की राशि का भुगतान किया जा रहा है।

4. यहकि प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में दैनिक वेतन भोगी की सेवा को नियमितिकरण दिनांक तक जोडने व वेतन के अंतर की राशि के लिए प्रकरण डबल्यू.पी./492/2023 के तहत दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 09.01.2023 को प्रार्थी के वाद का निराकरण करते हुए उसकी दैनिक वेतनभोगी की सेवा को नियमितिकरण दिनांक तक जोडने के आदेश दिए है।

श्रीमानजी से विन्रम निवेदन है कि प्रार्थी की दैनिक वेतन भोगी की सेवा दिनांक 21.07.1986 को उसके नियमितिकरण दिनांक 11.05.1990 तक को जोडने एवम नियमित वेतनमान एवम अंतर की राशि देवेन्द्र कुमार शर्मा की तरह देने की कृपा करें।

(4) मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के उक्त पारित आदेश दिनांक 09 जनवरी 2023 के परिपालन में याचिकाकर्ता श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव सेवा निवृत्त उपयंत्री के अभ्यावेदन दिनांक 13.01.2023 का निराकरण बिन्दुवार निम्नानुसार किया जा रहा है :–

(अ) आपके द्वारा पेंशन प्रयोजन हेतु दैनिक वेतन भोगी की सेवा अवधि को नियमित स्थापना में की गई सेवाओं में जोडे जाने की मांग की गई है जबकि दैनिक वेतन भोगी सेवा अवधि को नियमित स्थापना की सेवाओं में जोड़े जाकर पेंशन प्रदान करने के संबंध मे शासन नियमों में कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

(ब) माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली की सिविल अपील कमांक 3155/2023 (उदय प्रताप ठाकुर बनाम बिहार राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2023 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी कर्मचारी की ऐसी सेवाऐं जिनमें उसे मूल पद पर , चयन की प्रकिया तथा भर्ती नियमों के पालन उपरांत नियुक्त नहीं किया गया है, की गणना पेंशन प्रयोजन हेतु नहीं की जा सकती हैं।

आपके द्वारा दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गयी सेवाऐं इसी प्रकृति की सेवाऐं है, अतः उनकी गणना पेंशन प्रयोजन हेतु नहीं की जा सकती है।

(स) माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली की सिविल अपील कमांक 505–531/2020 (परमेंश्वर नन्दा आदि बनाम झारखंड राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2020 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी को नवनियुक्त कर्मचारी की तरह बिना वेतन संरक्षण और वरिष्ठता संरक्षण के किसी सेवा में संविलियन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी पुरानी सेवाऐं पेंशन प्रयोजन हेतु गणना में नहीं ली जावेगी।

दैनिक वेतन भोगी सेवा से नियमित स्थापना की सेवा में संविलियन करते समय आपको नवनियुक्त कर्मचारी की तरह ही नियुक्ति दी गयी थी। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गयी सेवाओं की गणना पेंशन प्रयोजन हेतु नहीं की जा सकती है।

(द) माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के प्रकरण एम.आर.गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य (1995) 5 SCC 628 , सिविल अपील क्रमांक 5151–5152 /2008 "भारत संघ एवं अन्य बनाम तरसेम सिंह" में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2008 , सिविल अपील क्रमांक 4134 /2022"रूसीभाई जगदीशचंद्र पाठक बनाम भावनगर म्युनिसपल कारपोरेशन" में पारित निर्णय दिनांक 18 मई 2022 , सिविल अपील क्रमांक 10251 /2014 "असगर इब्राहिम अमीन बनाम जीवन बीमा निगम" में पारित निर्णय दिनांक 12 अक्टूबर 2015 एवं सिविल अपील क्रमांक 3156 /2007 "मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य बनाम योगेन्द्र श्रीवास्तव" में पारित निर्णय दिनांक 07 अक्टूबर 2009 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि त्रुटिपूर्ण वेतन के मामलो में यदि एरियर राशि भी चाही जाती है तो कर्मचारी रिट याचिका दायर करने के दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक की ही एरियर राशि प्राप्त करने का पात्र होगा ।

उक्तानुसार वर्ष 2023 में दायर की गयी रिट याचिका के माध्यम से दिनांक 21.07.1986 से 11.05.1990 तक की एरियर राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं आती है ।

(इ) आपके द्वारा <u>श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा</u> को प्राप्त पेंशन एवं वेतन अंतर की राशि के लाभ को आधार बनाकर, समान तरह के लाभ चाहे गये है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस तरह के लाभ विभाग में कार्यरत कुछ समान प्रकृति के नियमित कर्मचारियों को त्रुटिपूर्ण रूप से अथवा बाध्यकारी न्यायालयीन निर्णयों के परिपालन में प्राप्त हुये है तो इस आधार पर आपको भी समान प्रकृति के लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं आती है क्योकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रकरण **"इंडियन काउंसिंल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एवं अन्य विरूद्ध टी.के.सूर्यनारायणन एवं अन्य" [(1997) एस.सी.सी. 766]** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कुछ लोगों को त्रुटिपूर्ण लाभ दिया गया है तो वह अन्य लोगों के लिये उस लाभ को प्राप्त करने का आधार नही बन सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया समानता के अधिकार को नकारात्मक रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

(5) उपरोक्तानुसार श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त उपयंत्री (सिविल) के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका कमांक 492/2023 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2023 के परिपालन में उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 13.01.2023 को अमान्य करते हुये निरस्त किया जाता है।

7.3.2024

प्रमुख अभियंता

क्रमांक 2246 /प्र अ./लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक 11/03/2024

प्रतिलिपि :–

(1) मुख्य अभियंता लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(2) अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग चंबल मंडल मुरैना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(3) कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग खंड भिण्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(4) श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त उपयंत्री (सिविल),ए 205, सागर एवेन्यू, महावीर कॉलोनी, कालपी पुल, मोरार, ग्वालियर मध्य प्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

7.3.2024
प्रमुख अभियंता